

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प० 3(77)नवि/3/2010

जयपुर, दिनांक - 11 MAY 2011

आदेश

राजस्थान टाउनशिप पोलिसी-2010 व Policy for Industrial, Group Housing and other Schemes in the Private Sector, 2010 में पहुंच सड़क, नाले वगैरह निर्माण, रोड़ लाइटिंग, वृक्षारोपण आदि कार्य कराने के लिये बाह्य विकास शुल्क (ई.डी.सी.) विकासकर्ता से लिये जाने का प्रावधान है, जिसके अनुसार जनसंख्या के आधार पर निम्न दरें निर्धारित हैं :-

- (i) 2001 की जनगणना के आधार पर 1 लाख तक की आबादी के शहरों के लिए - 100 प्रति व.मी.
- (ii) 2001 की 1 लाख से अधिक परन्तु 10 लाख तक की आबादी के शहरों के लिए - 150 प्रति व.मी.
- (iii) 2001 की 10 लाख से अधिक की आबादी के शहरों के लिए - 200 प्रति व.मी.

यह राशि विशेष रूप से बड़ी योजनाओं/ग्रुप हाउसिंग की योजनाओं के लिये बहुत अधिक हो जाती है तथा विकासकर्ताओं को यह राशि देने में कठिनाई होती है। विकासकर्ताओं द्वारा बाह्य विकास शुल्क किशतों में लिये जाने की मांग की गई थी। इसे ध्यान में रखते हुये यह तय किया गया है कि यदि सम्पूर्ण योजना की बाह्य विकास शुल्क (ई.डी.सी.) की राशि जमा करायी जाती है तो इसे चार किशतों में Post dated Cheques के माध्यम से प्राप्त की जावे, जो निम्न प्रकार देय होगी :-

किशत	राशि	अवधि
प्रथम किशत	25 प्रतिशत	अनुमोदन के समय
द्वितीय किशत	25 प्रतिशत	अनुमोदन से 6 माह की अवधि में।
तृतीय किशत	25 प्रतिशत	अनुमोदन से 9 माह की अवधि में।
चौथी किशत	25 प्रतिशत	अनुमोदन से 12 माह की अवधि में।

ले-आउट प्लान/साईट प्लान/ग्रुप हाउसिंग प्लान जारी किये जाने से पूर्व विकासकर्ता द्वारा उपरोक्तानुसार किशतों के 4 Post dated cheques स्थानीय निकाय में जमा कराने होंगे। प्रथम किशत की राशि स्थानीय निकाय के खाते में जमा होने पर पट्टा तथा ले-आउट प्लान जारी किया जा सकेगा। विकासकर्ता द्वारा किसी भी किशत की राशि जमा कराने में विलम्ब होने पर विलम्बित अवधि के लिये 12 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जावेगा। इसके साथ ही यदि विकासकर्ता द्वारा बाह्य विकास शुल्क की राशि एक मुश्त One time/Down Payment के रूप में अनुमोदन के समय जमा करायी जाती है तो 20 प्रतिशत की छूट (Rebate) दी जावेगी। यदि योजना के प्रत्येक गूखण्ड की अलग-2 समय पर बाह्य विकास शुल्क की राशि जमा करायी जाती है तो कोई छूट देय नहीं होगी। पूर्व में जमा करायी गई बाह्य विकास शुल्क की राशि लौटायी नहीं जावेगी।

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आदेशक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राज० जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज० जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, अजमेर/अलवर/भरतपुर/भिवानी/भीलवाड़ा/बीकानेर/आबू जिला सरोही/कोटा/उदयपुर/श्रीगंगानगर/जैसलमेर।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-द्वितीय